अपील सूचना अधिकार संख्या 24/2020 (GCMS 2020/00039) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लो.सू.अ. एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

08.02.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 19.12.2019 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर 25000/– शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. **दिनांक 16.01.86 को श्रीमती गंगादेवी पत्नी श्री भगवानदास द्वारा वसीयत राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास के हक में निष्पादित की। दिनांक 11.04.2020 को वसीयती दस्तावेज में प्रस्तुतकर्ता मोनिका देवी द्वारा दस्तावेज पंजीयन करवाया है जिसमें अगूंठा निशानी का कथन अकिंत नही है, उस समय 11.04.2000 को श्री लाभ सिंह केशियर व उपपंजीयक श्री हजारी लाल जी बाबत सूचना।**
2. **उपरोक्त दस्तावेज में किसी व्यक्ति का नाम, प्रस्तुतकर्ता या गवाह का नाम आदि भूल या त्रुटि या सहवन से लिखा गया है, इस बाबत सूचना।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3. दस्तावेज पर अंगूठा निशानी प्रस्तुतकर्ता के समय जिसकी है, उसकी सूचना उपरोक्त कर्मकारो से जाचं कर उपलब्ध करवाने की कृपा करे।

उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 35 दिनांक 20.01.2020 से प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिवजाते हुए अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 के संबध में लेख है कि दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को पूर्व में उपलब्ध करवायी जा चुकी है एवं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों मे उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिये। सूचना के रूप में प्रत्यर्शी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदन को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

में प्रदत सूचना का अर्थ है विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सूझाव देना किसी परिवेदन के निवारण के लिये प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

-sd-
उप पंजीयक
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना किसी निश्चित अभिलेख की न होकर प्रश्नात्मक रूप से है और लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर